न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 224 / 2024

अनवान : –

1. बिरबलराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मालीया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. रामजीलाल पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
3. अमीलाल पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
4. चिड़िया पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
5. लिछमा पुत्री दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
6. द्रोपती पुत्री दशराथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
7. मांगाराम पुत्र दशथ्र पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
8. मनोहरलाल पुत्र दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
9. रोहताश पुत्र दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
10. ममता पुत्री दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
11. मैनावती पुत्री दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
12. मनफुल पुत्र सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
13. काशीराम पुत्र सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
14. महेन्द्र पुत्र सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
15. नोरंगलाल पुत्र सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
16. हरदेई पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
17. श्योपारी पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
18. संतो पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
19. तुलछा पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
20. रोहिताश पुत्र जीतराम पुत्र सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
21. सावित्री पत्नी जीतराम पुत्र सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
22. विक्रम पुत्र भागी पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
23. मांडा पुत्री भागी पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
24. गिरदावरी पुत्री सरबती पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
25. चन्द्रो पुत्री सरबती पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
26. भाना पुत्री सरबती पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
27. तारावती पुत्री सरबती पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
28. बलवीर पुत्र सरबती पु[illegible] मालिया तहसील नोहर।
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार [illegible] तहसील नोहर।
30. उप पंजीयक नोहर तह[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:26:05 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]रसायालान

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :— 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदन मोहन जोशी जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 11/02/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 17/18 के ख0न0 120 की 8.045 हैक्ट भूमि सायल के दादा कानाराम पुत्र शेराराम के नाम दर्ज है। सायल के पिता हेतराम का देहान्त हो चुका है व वारिस सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 37 है।

रोही मौजा मालिया में सायल के दादा कानाराम पुत्र शेराराम के नाम 52 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज थी जो की ख0न0 11 की 10.892 हैक्ट 52 की 4.5540 हैक्ट, 120 की 8.045 हैक्ट भूमि में सायल के दादा के जीवनकाल में वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा हुआ था जो कि ख0न0 111 की 10.892 हैक्ट व ख0न0 52 की 4.5540 हैक्ट भूमि अपने तीन पुत्रों रामजीलाल, मनीराम व अमीलाल को बाहमी बंटवारा में प्राप्त हुई जिसकी वसीयत सब रजिस्ट्रार नोहर से दिनांक 24.07.81 को पंजीकृत है जिससे कुल 15.4460 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 ता 3 को प्राप्त हुई व सायल के पिता को ख0न0 120 की 8.045 हैक्ट भूमि में से पूर्व दिशा की 20 बीघा जरिये इकरारनामा राजीनाम/समझौता दिनांक 21.01.1982 को प्राप्त हुई जिस समय रामजीलाल, मनीराम पुत्रगण कानाराम समझौता पत्र पर अपनी सहमति के अंगूठा हस्ताक्षर किये इसी अनुसार उसी समय से सायल के पिता व गैरसायल संख्या 1 ता 3 के वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है। गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम उक्त भूमि मुताबिक वसीयत दर्ज हो चुकी है लेकिन सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम मुताबिक समझौता भूमि दर्ज नही हुई है। सायल के दादा मृतक कानाराम पुत्र शेराराम के नाम भूमि दर्ज होने का गैरसायल स0 1 ता 3 नाजायज फायदा उठा रहे है व भूमि को भू माफिया लोगो को बेचान करने की धमकी दे रहे है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की मुताबिक समझौता सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण को मिली भूमि उनके नाम दर्ज न हो तब तक गैरसायल वाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 17/18 के ख0न0 120 की 8.045 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा अस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की 15.4460 हैक्ट भूमि का गैरसायल स0 1 ता 3 के नामान्तरण संख्या 1068 दर्ज हो चुक[illegible] शेष रही ख0न0 120 की 8.045 हैक्ट भूमि में 20 बीघा भूमि के कानाराम [illegible] के हकदार है। सायल के पिता द्वारा हिन्दु परिवार की साझा [illegible] कर सायल के नाम दर्ज करवा दी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:26:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

थी। सायल के पिता द्वारा पूर्व में कोई बाहमी बंटवारा नही किया गया है। न्यायालय हाजा में पूर्व में एक वाद संख्या 92/81 बअनवानी हेतराम बनाम कानाराम आंदि पेश किया गया थ। अब पुन एक ही विषयवस्तु का दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की चलने योग्य नही है। वाद स0 92/1981 को 1983 में अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था जिसकी माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील स0 23/1994 बअनवानी हेतराम बनाम दाखी पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 13.09.2000 को हुआ जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 6078/2000 पेश की गई। सायल का उक्त भूमि में 1/8 हिस्सा ही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की रोही मौजा मालिया में सायल के दादा कानाराम पुत्र शेराराम के नाम 52 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज थी जो की ख0न0 11 की 10.892 हैक्ट 52 की 4.5540 हैक्ट, 120 की 8.045 हैक्ट भूमि में सायल के दादा के जीवनकाल में वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा हुआ था जो कि ख0न0 111 की 10.892 हैक्ट व ख0न0 52 की 4.5540 हैक्ट भूमि अपने तीन पुत्रों रामजीलाल, मनीराम व अमीलाल को बाहमी बंटवारा में प्राप्त हुई जिसकी वसीयत सब रजिस्ट्रार नोहर से दिनांक 24.07.81 को पंजीकृत है जिससे कुल 15.4460 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 ता 3 को प्राप्त हुई व सायल के पिता को ख0न0 120 की 8.045 हैक्ट भूमि में से पूर्व दिशा की 20 बीघा जरिये इकरारनामा राजीनाम/समझौता दिनांक 21.01.1982 को प्राप्त हुई जिस समय रामजीलाल, मनीराम पुत्रगण कानाराम समझौता पत्र पर अपनी सहमति के अंगूठा हस्ताक्षर किये इसी अनुसार उसी समय से सायल के पिता व गैरसायल संख्या 1 ता 3 के वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है। गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम उक्त भूमि मुताबिक वसीयत दर्ज हो चुकी है लेकिन सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम मुताबिक समझौता भूमि दर्ज नही हुई है। सायल के दादा मृतक कानाराम पुत्र शेराराम के नाम भूमि दर्ज होने का गैरसायल स0 1 ता 3 नाजायज फायदा उठा रहे है व भूमि को भू माफिया लोगो को बेचान करने की धमकी दे रहे है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की मुताबिक समझौता सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण को मिली भूमि उनके नाम दर्ज न हो तब तक गैरसायल वाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की 15.4460 हैक्ट भूमि का गैरसायल स0 1 ता 3 के नामान्तरण संख्या 1068 दर्ज हो चुका है तथा शेष रही ख0न0 120 की 8.045 हैक्ट भूमि में 20 बीघा भूमि के कानाराम पुत्र शेराराम के 8 वारिसान बहिब के हकदार है। सायल के पिता द्वारा हिन्दु परिवार की साझा आय से भूमि खरीद कर सायल के नाम दर्ज करवा दी गई थी। सायल के पिता द्वारा पूर्व में कोई बाहमी बंटवारा नही किया गया है। न्यायालय हाजा में पूर्व में एक वाद संख्या 92/81 बअनवानी हेतराम बनाम कानाराम आदि पेश किया गया थ। अब पुन एक ही विषयवस्तु का दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की चलने योग्य नही है। वाद स0 92/1981 को 1983 में अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था जिसकी माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील स0 23/1994 बअनवानी हेतराम बनाम दाखी पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 13.09.2000 को हुआ जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:26:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल का उक्त भूमि में 1/8 हिस्सा ही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि बाबत पूर्व में भी न्यायालय हाजा में एक वाद स0 92/1981 पेश किया गया था जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के पेश की गई है। लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक प्रथम दृष्टया सायल के दादा के जीवनकाल में वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा हुआ था जो कि ख0न0 111 की 10.892 हैक्ट व ख0न0 52 की 4.5540 हैक्ट भूमि अपने तीन पुत्रों रामजीलाल, मनीराम व अमीलाल को बाहमी बंटवारा में प्राप्त हुई जिसकी वसीयत सब रजिस्ट्रार नोहर से दिनांक 24.07.81 को पंजीकृत है जिससे कुल 15.4460 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 ता 3 को प्राप्त हुई व सायल के पिता को ख0न0 120 की 8.045 हैक्ट भूमि में से पूर्व दिशा की 20 बीघा जरिये इकरारनामा राजीनाम/समझौता दिनांक 21.01.1982 को प्राप्त हुई जिस समय रामजीलाल, मनीराम पुत्रगण कानाराम समझौता पत्र पर अपनी सहमति के अंगूठा हस्ताक्षर है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को रहन, बैय किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो गया है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है न की अप्रार्थीगण के इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा सें पाबन्द किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 17/18 के ख0न0 120 की 8.045 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:26:05 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर